# राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 207 अक्टूबर 2016

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

## सम्पादकीय

2012 से, 11 अक्टूबर समूचे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और महिला असमानताओं को उजागर करना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लोगों और संगठनों को विभिन्न प्रकार के भेदभाव और दुरुपयोग, जिन्हें विश्व में अनेक बालिकाएं सहती हैं, के प्रति जन जागरूकता फैलाने का अवसर देता है।

जहां तक भारत का संबंध है, यह सर्वविदित है कि बेटियों को महत्व नहीं दिया जाता है और इस समस्या से निबटने में भारत की असमर्थता के कारण पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या में भारी गिरावट आई है जो 2011-12 में प्रति 1,000 लड़कों की तुलना में 909 से 2012-14 की अवधि में 906 रह गई है। 2014 के प्रतिदर्श पंजीकरण व्यवस्था के निष्कर्षों से पता चलता है कि सेक्स का चयन हिंदी आंतरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है अपितु यह प्रवृत्ति तमिलनाडु जैसे राज्यों में फैल रही है जहां यह संख्या 927 से कम होकर 921 रह गई है।

भारत और कनाडा में शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किए गए एक नए अध्ययन से पता चला कि प्रति 100 लड़कों की तुलना में जिनकी 2012 में पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो गई थी, मृत लड़कियों की संख्या 130 थी। ये निष्कर्ष 2011 में जनसंख्या के आयु-वार आंकड़ों का समर्थन करते हैं जो जनगणना प्राधिकारियों ने हाल में जारी किए थे कि पन्द्रह वर्ष की आयु तक बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से कम है। जबकि अधिक से अधिक संख्या में लड़कियों की विवाहयोग्य आयु तक पहुंचने से पूर्व मृत्यु हो जाती है, शेष लड़कियों को मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति के लिए बेच देने अथवा यौन दुराचार के खतरों को झेलना पड़ता है।

**चर्चा में**

### अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस

यहां तक भी यदि किसी बालिका को पैदा भी होने दिया जाता है, उसके साथ आरम्भ से ही भेदभाव और बालिका पक्षपात किया जाता है। उसे पर्याप्त पोषाहार और स्वास्थ्य संबंधी देखरेख नहीं मिलती है जो उसके भाईयों को मिलती है। इसके परिणामस्वरूप लड़कियां वयस्क होने पर कमजोर रहती हैं और उनमें पोषाहार की कमी रहती है। विवाह के बाद, वे कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं, और उनमें से अधिकांश को प्रसव-पश्चात देखरेख नहीं मिलती है और वे जीवन भर कमजोर और दुर्बल रहती हैं जिसकी वजह से उन्हें बीमारियां घेर लेती हैं और वे जल्दी मर जाती हैं। ऐसी माताओं के मामले भी हैं जो इस तथ्य के कारण, कि परिवार को लड़कियों की शादी में भारी दहेज देना पड़ेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं कि उनकी बालिकाएं जीवित रहें।

जबकि समाजिक-आर्थिक स्थितियां और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी - केवल महिला भेदभाव अथवा पुरुष प्रधान व्यवस्था ही नहीं - के कारण बालिका को अस्वीकार किया जा सकता है, मुख्य समस्या इस तथ्य से पैदा होती है कि राज्य गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक अधिनियम, 1994, जो सेक्स-चयन गर्भपात रोकने के लिए सेक्स निर्धारण परीक्षणों पर रोक लगाता है, को लागू करने में असमर्थ हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की हाल की रिपोर्ट बताती है कि कानून को बहुत ही असंतोषजनक ढ़ंग से लागू किया जा रहा है जिसका कारण नियमित जांच न होना, अधिनियम को लागू करने के लिए नियत धन का कम उपयोग होना और स्टिंग अभियान न चलाया जाना है।

प्रधानमंत्री ने स्वयं बार-बार कहा है कि समाज को लड़कियों को महत्व देना चाहिए ताकि असंतुलित महिला-पुरुष अनुपात को ठीक किया जा सके। तथापि न तो आर्थिक विकास और न शिक्षा से बालक के लिए पसंद में कोई परिवर्तन आया है। जब तक समाज की सोच में क्रांति नहीं आती है, एक समय ऐसा आयेगा जब हमारे पुरुष-सूरमाओं के लिए कोई दुल्हन नहीं मिलेगी।

## महत्वपूर्ण निर्णय

- केन्द्र उच्चतम न्यायालय में तीन बार तलाक कहने की प्रथा का इस आधार पर विरोध करेगा कि महिलाओं के अधिकारों को "छीना नहीं जा सकता" और इस मामले को समान सिविल संहिता की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।
- एक विशेष न्यायालय ने कहा कि पत्नी केवल अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने की पात्र है और उसके सास-ससुर उसका भरण-पोषण नहीं कर सकते हैं। विशेष न्यायाधीश ने यह टिप्पणी एक घरेलू हिंसा के मामले में की जब एक विवाहित महिला को उसके पति के घर में आने पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि यह संपत्ति उसकी सास की थी जिसने अपने लड़के से संबंध तोड़ दिए थे।
- उच्चतम न्यायालय ने अपने 2014 के आदेश पर जोर देकर कहा कि पत्नी द्वारा दायर दहेज उत्पीड़न मामलों में पति और सास-ससुर को यन्त्रवत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए परन्तु नज़रबंद करने से पूर्व मजिस्ट्रेट से अधिकृत आदेश मांगना चाहिए।

## राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सितम्बर, 2016 में प्राप्त शिकायतें

| महीना | प्राप्त शिकायतें | प्राप्त की गई कार्यवाही रिपोर्ट | बंद शिकायतें |
|---|---|---|---|
| सितम्बर 2016 | 1027 | 613 | 613 |

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सितम्बर, 2016 में 6 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

## मानव तस्करी पर सेमिनार

National Seminar
Human Traffickin
23rd and 24th August 2016

*राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सेमिनार को सम्बोधित करती हुई*

दि इंडियन सोसायटी ऑफ विक्टिमोलॉजी, मद्रास विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के साथ मिलकर चेन्नई में मानव तस्करी पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। इस दो दिवसीय सेमिनार की योजना विद्वतजनों, सामाजिक विज्ञान, अपराध विज्ञान, विधि के विद्यार्थियों और सिविल सोसाइटीज़ और मीडिया के प्रतिनिधियों को मानव तस्करी के विभिन्न पहलुओं और मानव तस्करी को रोकने में सहायता करने के लिए मौजूद कानूनों और प्रावधानों के बारे में शिक्षित करने के लिए बनाई गई थी।

समापन सत्र में बोलती हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि तस्करी से लाई गई अधिकांश लड़कियां निर्धन और हाशिए में रहने वाले परिवारों की हैं और अनेकों को चालाकी से इस पेशे में लाया गया है। इसलिए बचाई गई लड़कियों के पुनर्वास और कौशल विकास की आवश्यकता है ताकि वे और उनका परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है और मानव तस्करी की समस्या का समाधान करने के लिए एक परिवर्तनशील और उत्तरदायी प्रणाली के होने की आवश्यकता है।

## स्त्री अशिष्ट रूपण पर परामर्श

ON ON REVIEW OF
F WOMEN (PROHIBITI ACT (1986)
dia Habitat Cen ew D

*परामर्श सत्र का उद्घाटन करती हुई (बाएं से) श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, सदस्या रेखा शर्मा, संयुक्त सचिव वंदना गुप्ता, सदस्य सुषमा साहू*

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा नई दिल्ली में स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 पर एक परामर्श सत्र का आयोजन किया गया।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की संयुक्त सचिव वंदना गुप्ता ने अधिनियम का संक्षिप्त में परिचय दिया और कहा कि परामर्श सत्र का उद्देश्य अन्य मौजूदा कानूनों के साथ अधिनियम के समरूप होने के बारे में समीक्षा करना था ताकि अधिनियम के सभी पहलू साथ काम कर सकें। प्रतिभागियों में राज्य आयोगों की अध्यक्षाएं और सदस्य, विभिन्न मंत्रालयों, गैर-सरकारी संगठनों, पुलिस, कानूनी विशेषज्ञों, मीडिया आदि के प्रतिनिधि शामिल थे।

इस अवसर पर बोलती हुई, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने कहा कि अधिनियम में, जोकि 30 वर्ष पुराना है, इंटरनेट और सोशल मीडिया के विकास के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हाल में महिलाओं को सेक्स प्रतीक के साथ वस्तु के रूप में विज्ञापन के जरिए दिखाये जाने में वृद्धि हुई है और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी अधिनियम की परिधि में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टी.वी. सीरियलों में महिलाओं के प्रतिगामी और दमनकारी चित्रण से लोगों पर हानिकर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का शिष्ट चित्रण, जो प्रतिशोधात्मक पितृसत्तात्मक समाज के मानदंडों से मुक्त हो, करने के लिए मीडिया, सरकार और प्रशासन के बीच मतैक्य होना चाहिए।

## जन सुनवाई

- राष्ट्रीय महिला आयोग ने 29-30 सितम्बर, 2016 को पंचकुला, हरियाणा में "महिला जन सुनवाई" का आयोजन किया। सदस्या रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम के साथ सुनवाई में उपस्थित हुई जिसे जिला पुलिस और जिला विधि सेवा प्राधिकार के साथ सहयोग से संचालित किया गया था। सुनवाई के दौरान 50 मामले लिए गए और 46 मामलों का अन्तिम रूप से निपटान कर दिया गया।
- आयोग ने 21 सितम्बर, 2016 को दिल्ली के दक्षिण पूर्व जिले में "महिला जन सुनवाई" का आयोजन किया। सदस्य आलोक रावत और राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम ने दिल्ली पुलिस और जिला विधि सेवा प्राधिकार के साथ सहयोग से सुनवाई को संचालित किया। सुनवाई के दौरान 50 मामले लिए गए।
- आयोग ने 25-26 सितम्बर, 2016 को कानपुर के पुलिस लाइन्स में "महिला जन सुनवाई" आयोजित की। सदस्या सुषमा साहू और राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम ने कानपुर पुलिस और जिला विधि सेवा प्राधिकार के समर्थन से सुनवाई का संचालन किया।

## सी.ई.ओ. राउंडटेबल

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सेमिनार को सम्बोधित करती हुई

दिशा, जो इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन, यू.एन.डी.पी. और जिनटियो के बीच एक साझेदारी है और जिसका समर्थन आई.के.ई.ए. फाउंडेशन ने किया है, ने नई दिल्ली में दूसरा सी.ई.ओ. राउंडटेबल का आयोजन किया। इसका उद्देश्य मुख्य सहभागी और विशेषज्ञों के साथ प्रोजेक्ट के आरम्भ होने के बाद से पिछले एक वर्ष के दौरान हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था।

प्रोजेक्ट का उद्देश्य 10 लाख पिछड़ी महिलाओं को बाजार कौशल के सीखने में मदद करके और उन्हें गुजारा योग्य आय अर्जित करने के अवसरों से जोड़ कर उनके जीवन को प्रभावित करना है।

पैनल के सदस्यों, जो सरकार, गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, और प्रशिक्षण प्रदाताओं ने बिजनेस मॉडल को लाभकारी बनाने पर ध्यान देने के कौशल में सरकारी-गैर सरकारी साझेदारी को सफल बनाने के तरीकों, चुनौतियों और पुरस्कार देने पर चर्चा की।

## राष्ट्रीय क्रेच नीति पर परामर्श सत्र

आयोग ने अपने कांफ्रेंस हॉल में 4 अक्टूबर, 2016 को राष्ट्रीय क्रेच नीति पर परामर्श सत्र का आयोजन किया। यह निर्णय लिया गया कि उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए परामर्श सत्र की रिपोर्टों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।

बाद में, अध्यक्षा ने राष्ट्रीय महिला आयोग के स्टॉफ के बच्चों के लिए आयोग में एक क्रेच का उद्घाटन किया।

अध्यक्षा (बाएं) सदस्याओं के साथ क्रेच का उद्घाटन करती हुई

## शिकायत प्रकोष्ठ से

- एक महिला ने राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत दी है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उसका भाई उसे मानसिक रूप से अयोग्य घोषित करके पारिवारिक कारोबार में उसके हिस्से से उसे वंचित करने की कोशिश कर रहा है। आयोग ने यह मामला पुलिस प्राधिकारियों के पास उठाया और उसके लिए सुरक्षा की मांग की और झारखंड सरकार (स्वास्थ्य विभाग) से शिकायतकर्ता की डॉक्टरी जांच करने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता की पहली और दूसरी जांच के बाद मेडिकल बोर्ड की रिपोर्टों को आयोग ने संबंधित अधिकारियों और प्रभारी डॉक्टर से सुनवाई करने के बाद जांचा। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता पैरॉनायड शिजोफ्रेनिया से ग्रसित है परन्तु अपना रोजमर्रा का काम कर सकती है। आयोग के हस्तक्षेप के बाद, राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जिला मजिस्ट्रेट को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने के लिए कहा जिससे उसके हितों, विशेषकर पारिवारिक कारोबार में उसके हिस्से की रक्षा की जाए ताकि वह गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सके।
- आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की एक शिकायत को कार्यवाही हेतु लिया क्योंकि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) की बैठकों की कार्यवाहियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग का कानून के उल्लंघन में विलोप कर दिया गया। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर सुनवाई की और उसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। मामले को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और मंत्रिमंडल सचिवालय ने आगे कार्यवाही हेतु लिया।
- आयोग ने वैवाहिक विवाद की एक शिकायत पर मध्यस्थता की। चूंकि दोनों पार्टियां आयोग द्वारा किए गए परामर्श सत्र के बावजूद संबंध बनाए रखना नहीं चाहते थे, पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ कि वे आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दायर करेंगे और प्रतिवादी पति समेकित गुजारा भत्ता के रूप में शिकायतकर्ता को 45 लाख रुपये देगा। दोनों पार्टियों ने न्यायालय में तलाक के लिए प्रथम समावेदन दायर की है।
- आयोग ने एक शिकायत पर विचार किया जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके गर्भवती होने के कारण उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। मामले को संबंधित संगठन के पास उठाया गया और आयोग के हस्तक्षेप के कारण संगठन ने शिकायतकर्ता को पुनः नौकरी पर रख लिया और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अनुसार उसे छुट्टी और लाभ देने का आश्वासन भी दिया।

## सदस्यों के दौरे

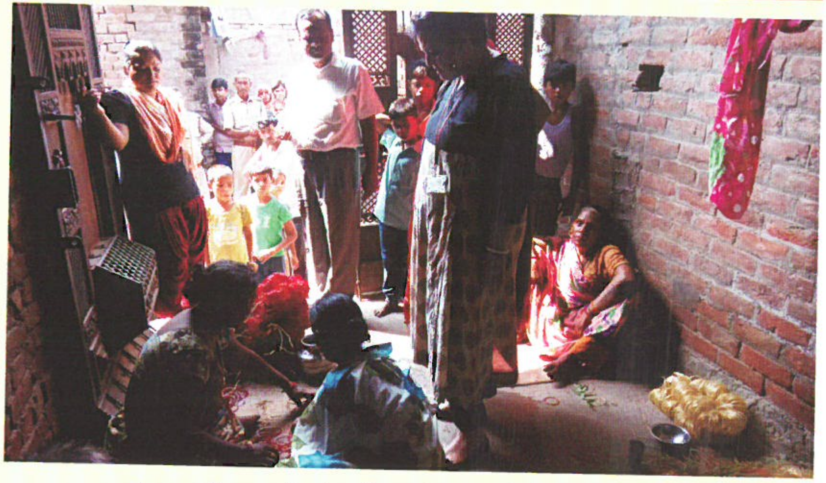
सदस्या रेखा शर्मा कांच और चूड़ी कामगारों से बातें करती हुई

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग का ध्यान कांच और चूड़ी उद्योग में महिला कामगारों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाया गया। वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सदस्या रेखा शर्मा, अवनी बाहरी, कनिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ (विधि) के साथ ऐसी फैक्टरियों में और घरेलू क्षेत्र में काम करने वाली महिला कामगारों की स्थिति की जांच करने के लिए फिरोजाबाद गई। ● श्रीमती शर्मा ने अवनी बाहरी और परामर्शदाता नेहा महाजन गुप्ता के साथ हरियाणा के पंचकुला में 2-दिवसीय महिला जन सुनवाई का आयोजन किया जहां आयोग ने राज्य के छः जिलों यथा करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला, यमुना नगर और पंचकुला से कुल 50 मामलों को सुलझाया। ● सदस्या रेखा शर्मा सूरत, भरूच और अहमदाबाद की वस्त्र फैक्टरियों में काम करने वाली महिला कामगारों की कार्यस्थिति की जांच करने के लिए वहां गई। उन्होंने देखा कि जिस स्थिति में महिलाएं काम कर रही हैं वह शोचनीय है क्योंकि उनसे खड़ी स्थिति में 8 से 12 घंटे काम कराया जाता है।

❖ राष्ट्रीय महिला अयोग की सदस्या सचिव प्रीति मदान रांची गई और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विकसित मॉड्यूल के आधार पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए मुख्य सचिव, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और मुख्य सचिव, सामाजिक कल्याण, महिला और बाल विकास के साथ बैठक की। ● श्रीमती मदान हैदराबाद गई और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण प्रोजेक्ट को बढ़ाने के बारे में महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के साथ बैठक की। ● सदस्या सचिव, संयुक्त सचिव वंदना गुप्ता और अध्यक्षा की तकनीकी परामर्शदाता मृदु मरकन के साथ जयपुर गई और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण मॉड्यूल्स पर चर्चा करने के लिए मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के साथ बैठक की।

## आपके ध्यान के लिए

राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायतों की जांच करता है और महिला अधिकारों के वंचन/हनन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेता है।

*शिकायतें निम्न से संबंधित हो सकती हैं :*

● घरेलु हिंसा ● दहेज ● यौन अपराध ● पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज न करना ● महिला भेदभाव ● कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध आदि।

*आयोग निम्न तरीकों से शिकायतों का निपटान करता है :*

● संबंधित पुलिस और अन्य प्राधिकारियों द्वारा जांच,

● मध्यस्थता और परामर्श - पारिवारिक विवादों के निपटान के लिए,

● जांच समितियां - पीड़ित को तत्काल राहत और न्याय देने के लिए तत्काल जांच करना।

शिकायतें लिख कर स्वयं अथवा डाक अथवा रजिस्टर्ड ऑनलाइन (स्वयं अथवा पीड़ित महिला की ओर से) भेजी जा सकती है।

शिकायत प्रकोष्ठ का नम्बर : 011-26944880, 26944883, 26944884 ● वेबसाइट : www.ncw.nic.in

अलग-अलग राज्यों से संबंधित शिकायतों को वहां की राज्य महिला आयोगों द्वारा लिया जाता है। ब्यौरों के लिए हमारा वेबसाइट देखें।

**अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110025 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।